राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर ।

:: आ दे श ::

सुरेन्द्र सिंह बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य.

एकलपीठ सिविल याचिका संख्या-83/2000 अन्तर्गत

अनुच्छेद 226 व 227 भारतीय संविधान.

आदेश दिनांक:- **नवम्बर 29, 2006**

उ प स्थि त

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री सुरेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।

श्री एम.एल. गोयल, अति.राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

न्यायालय द्वारा-

(1) इस रिट याचिका में प्रार्थी ने जिलाधीश, बून्दी के आदेश दिनांक- 10.12.1996 (प्रदर्श-1) व अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, कोटा सम्भाग, कोटा के अपीलीय आदेश दिनाक- 9.8.1999 (प्रदर्श-2) को चुनौती दी है।

(2) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि जिलाधीश, बून्दी ने आयुध अधिनियम की धारा- 17 (3) (B) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रार्थी के पक्ष में जिलाधीश, झालावाड़ द्वारा जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या- 1442/डी.एम./झाला, आक्षेपित आदेश दिनांक-10.12.1996 (प्रदर्श-1) द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया था। उक्त आदेश के विरूद्व प्राथी ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, कोटा सम्भाग, कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। उक्त अपील की सुनवाई अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, कोटा द्वारा 9.8.1999 को की गई थी। उक्त तिथि को प्रार्थी और उसके अधिवक्ता अति.सम्भागीय आयुक्त के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके थे एवं उनकी अनुपस्थिति में अति. सम्भागीय आयुक्त ने प्रार्थी की अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करते हुए निरस्त कर दिया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी श्री सुरेन्द्र शर्मा का तर्क है कि प्रार्थी को अति. सम्भागीय आयुक्त द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। उनका यह भी तर्क है कि

यदि प्रार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रार्थी की अपील को निर्णीत किया गया था तो भी प्रार्थी ने जो आधार अपनी अपील में लिए थे उनका विवेचन अति. सम्भागीय आयुक्त द्वारा आक्षेपित निर्णय में किया जाना चाहिए था।

(3) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख का गहनता पूर्वक परीक्षण किया गया।

(4) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि न्याय के हित में प्रार्थी को उसके द्वारा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, कोटा सम्भाग, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील के सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

(5) परिणामत: यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, कोटा सम्भाग, कोटा द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक- 9.8.1999 (प्रदर्श-2) निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, कोटा सम्भाग, कोटा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रार्थी की अपील का नये सिरे से गुणावगुण पर निस्तारण करेगें। इस आदेश की एक प्रतिलिपि अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, कोटा सम्भाग, कोटा को प्रेषित की जावे। प्रार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, कोटा सम्भाग, कोटा के समक्ष 22.12.2006 को उपस्थित होगा। याचिका का व्यय पक्षकार स्वयं अपना-अपना वहन करेगें।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)

एमसीएस